# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1. अपील संख्या – 1300/2016/भरतपुर
2. अपील संख्या – 1301/2016/भरतपुर
3. अपील संख्या – 1302/2016/भरतपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत प्रतिकरापवंचन, भरतपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स ए0डी0ऑयल इण्डस्ट्रीज, भरतपुर। .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

**उपस्थित : :**

श्री रामकरण सिंह,
राजकीय उप अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री ओ.पी.गुप्ता, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 20.03.2017**

## निर्णय

1. यें तीनों अपीलें विभाग द्वारा विद्वान अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भरतपुर द्वारा पारित पृथक आदेश दिनांक 19.01.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। विद्वान अपीलीय प्राधिकारी ने अपने आदेशों से प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2007–08, 2008–2009 एवं 2009–10 के कर निर्धारण आदेश जो कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 9 एवं सपठित धारा 26, 55 एवं 61 के अन्तर्गत पारित किये गये हैं, में निम्न तालिकानुसार अतिरिक्त कर तथा ब्याज राशि को यथावत रखते हुए शास्ति के बिन्दु पर प्रतिप्रेषित किया है :–

| अपील संख्या | अ.अधि. की अपी. सं. | शास्ति |
|---|---|---|
| 1300/2016 | 254/सीएसटी/14–15 | 19,60,712 |
| 1301/2016 | 255/सीएसटी/14–15 | 10,66,836 |
| 1302/2016 | 256/सीएसटी/14–15 | 3,26,823 |

2. चूंकि तीनों प्रकरणों में एक ही विधिक बिन्दु है, अतः एक ही आदेश से तीनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जावे।

3. प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी की उपरोक्त वर्षानुसार कर निर्धारण पत्रावलियां सहायक आयुक्त, वृत बी, भरतपुर से प्राप्त करते हुए उसमें अंतर्राज्यीय बिक्री से संबंधित प्राप्त ''सी'' फार्म के सत्यापन हेतु विभिन्न राज्यों यथा–नई दिल्ली, उडीसा, उत्तरप्रदेश, पश्चिमी बंगाल, झारखण्ड एवं बिहार के विभागों को पत्र प्रेषित किये। विभिन्न राज्यों से प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार ''सी'' फार्म असत्यापित होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधियों के उक्त बोग्रस एवं असत्यापित पाये गये ''सी'' फार्म पर पूर्ण दर से कर देयता मानते हुए नोटिस जारी किये गये।

लगातार.....2

4. समय–समय पर अन्य राज्यों से प्राप्त शेष राशि के "सी" फार्म की सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार आलौच्य अवधियों के असत्यापित "सी" फार्म के क्रम में कर निर्धारण अधिकारी को प्रत्यर्थी द्वारा कोई जवाब नहीं दिये जाने पर प्रत्यर्थी द्वारा आलौच्य अवधियों में जानबूझकर असत्य एवं कूटरचित "सी" फार्म विभाग में प्रस्तुत किया जाना एंव रियायती दर से कर चुकाया जाना मानते हुए समस्त संव्यवहारों पर प्रत्यर्थी का पूर्ण दर से कर जमा कराने का दायित्व निर्धारित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी द्वारा कुल बिक्री को असत्यापित "सी" फार्म में से विक्रय राशि एवं अन्य खर्चों की राशि कम करते हुए उक्त असत्यापित "सी" फार्म के पेटे प्रत्यर्थी द्वारा की गई वास्तविक बिक्री पर 2 प्रतिशत से अन्तर कर, ब्याज एवं धारा 61 के तहत अन्तर कर की दुगुनी शास्ति आरोपित की गई। उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, अपीलीय अधिकारी ने आरोपित कर व ब्याज राशियों को यथावत रखा एंव शास्ति के बिन्दु पर अपीलें कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित की, अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

5. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अविधिक बतलाया। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी को समुचित रूप से सुनवाई का अवसर दिया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा जानबूझकर असत्य एवं कूटरचित "सी" फार्म विभाग में प्रस्तुत किये थे। अतः उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकारते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को बहाल करने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि उनके द्वारा समस्त संव्यवहारों का इन्द्राज लेखा पुस्तकों में कर रखा है एवं किसी भी प्रकार के करापवंचन की उनकी मंशा नहीं थी। समान तथ्यों पर आधारित प्रकरणों में माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय अपील संख्या 720/2011/ भरतपुर टाटा श्री भगवती ऑयल एवं अन्य निर्णय दिनांक 25.06.2015 में माननीय खण्डपीठ ने आरोपित शास्तियों को अपास्त करते हुए कर एवं ब्याज के बिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये है। अतः विद्वान अभिभाषक ने प्रत्यर्थी पर आरोपित शास्ति को अनुचित बतलाते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम सरकार 23 वीएसटी 249 के परिप्रेक्ष्य में अपीलीय अधिकारी के आदेश को उचित बतलाते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया गया।

7. हमने दोनों पक्षों के तर्को पर मनन किया व अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस का एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया।

8. उक्त प्रकरणों की स्थिति, परिस्थति व तथ्य श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम सरकारँ 23 वीएसटी 249 एवं माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय अपील संख्या 720/2011/ भरतपुर टाटा श्री भगवती ऑयल एवं अन्य निर्णय दिनांक 25.06.2015 में दिये गये निर्णयों से पूर्णतः आच्छादित है। अतः उपरोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलें शास्ति के बिन्दु पर अस्वीकार की जाती हैं।

9. निर्णय सुनाया गया।

20.3.2017

(मदन लाल)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष